

संख्या-2051/0318/26-3-97-41351/97

प्रेमक,

मोहन स्वयं
विशेष अधिकारी,
उपनिवेश

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण विभाग,
लखनऊ

समाज कल्याण अनु-3 तारीख: दिनांक 15 जुलाई, 1997

विषय:- छत्रपति श्री शाहूजी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ के लिये पदों का सूजन एवं संस्था के संचालनार्थ पनराशि की स्वीकृति विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके आदेश संख्या 0318/सक/विकास/97-98 दिनांक 30.5.97 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि छत्रपति श्री शाहूजी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ के लिये महामहिम श्री राज्यपाल निम्नलिखित विभिन्न कोटि के 27 अस्थायी पदों, जिनका वेतनमान उनके सम्मुख अंकित है, के शारणादेश निर्गत होने की तिथि से अथवा भरे जाने की तिथि से दिनांक 20.02.1998 तक सृजित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। इन पद पारकों की वेतन के अनिवार्य शासन द्वारा समय समय पर स्वीकृत अन्य शर्तों जो विधिवानुसार देय हों, अनुमन्य हों:-

क्रमिक पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान
1- निदेशक	एक	संविदा के आधार पर
2- अपर निदेशक	एक	एक पद को सम्पत्ति आईओएसओ/पीओएसओ अधिकारी की प्रतिनिधित्व पर लेकर भरा जायेगा। यदि किसी समय पूर्णकालिक निदेशक की सेवाती की जाती है तो अपर निदेशक का पद स्वतः समाप्त हो जायेगा।
3- संयुक्त निदेशक	एक	3700-125-4700-150-5000
4- उप निदेशक	एक	3000-100-3500-125-4500
5- लेखाधिकारी	एक	2200-75-2800-4000-100-4000
6- सहायक प्रोग्रामर	एक	2000-60-2300-द. री. -75-3200
7- छात्रावास अधीक्षक	एक	1600-50-2300-द. री. -60-2660
8- लाइब्रेरियन	एक	1350-30-1450-40-1800-द. री. -50-2200
9- आशुनिधिक	एक	1400-40-1600-50-2300-द. री. -60-2600
10- आशुनिधिक	एक	1200-30-1560-द. री. -40-2040

11-वारिष्ठ लिपिक	एक	1200-30-1560-द. री. -40-2040
12-लेखालिपिक	एक	1200-30-1560-द. री. -40-2040
13-व्यवस्थापक	एक	1400-40-1600-50-2300-द. री. -2600
14-कनिष्ठ लिपिक	दो	950-20-1150-द. री. -25-1500
15-वाहन चालक	एक	950-20-1150-द. री. -25-1500
16-चतुर्थ श्रेणी कार्याधी	चार	750-12-870-द. री. -14-940
17-माली	एक	750-12-870-द. री. -14-940
18-कम्पाउण्डर	एक	775-25-1150-द. री. -30-1660
19-एलेक्ट्रीशियन	एक	775-12-871-द. री. -14-1025
20-नर्सिंग असिस्टेंट	एक	775-12-871-द. री. -14-1025
21-चौकीदार	तीन	निजी तरफ से भोगतान के आधार पर व्यवस्था की जायेगी।

2- उक्त पदों पर दो माह में होने वाला अनुमानित आर्थिक व्यय रु० 2.15 लाख, 5 प्रवक्तियों के दो माह के मासिक के लिये रु० 0.40 लाख तथा मशीने और राज राजा/उपकरण एवं संबंधित संग्रह में दिये गये विवरणानुसार के लिए रु० 5.17 लाख कुल रु० 7.72 लाख रु० सात लाख बहत्तर हजार मात्र की धनराशि के व्यय की भी स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3- उपर्युक्त व्यय के लिये वार्षिक वित्तीय वर्ष 1997-98 के आय व्यय में व्यवस्था नहीं है और चूंकि यह व्यय आवश्यक एवं अनिवार्य है। अतः इस प्रयोजन हेतु श्री राज्यपाल राज्य आकस्मिकतानिधि से रु० 7.72 लाख रु० सात लाख बहत्तर हजार मात्र अग्रिम अद्वारित किये जाने की स्वीकृति भी प्रदान करते हैं।

4- उपर्युक्त व्यय प्रथमतः "8000-राज्य आकस्मिकतानिधि" के नामे डाला जायेगा और अन्ततः अनुदान सं०-00 लेखाशीर्षक-2225-अनुसूचित जाति, जनजाति के कल्याण-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-277-शिक्षा-आयोजनागत-19-उत्थिति श्री साहूजी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान गुरुकुल की स्थापना के अंतर्गत सुसंगत व्ययों के नामे डाला जायेगा।

5- उपरोक्त पदों के दिनांक 28.2.98 से अग्रे चलते रहने की दशा में इनकी पदनिवृत्ति निरन्तर निदेशक, समाज कल्याण से प्रस्ताव प्राप्त होने पर शासन द्वारा जारी की जायेगी।

6- उक्त पदों को भरने के संबंध में शासन द्वारा समय समय पर जारी किये

(11)

..3..

गये आदेशों/निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जायेगा।
भवदीय,

मोहन स्वयं
विशेष सचिव

उत्तर प्रदेश शासन

वित्त विभाग

संख्या-ई-12/सी०एफ०-88/दर-1997

दिनांक 14 जुलाई, 1997

प्रतिनिधि महालेखाकार, लेखा प्रभाग/साईट प्रभ, 3090, कानपुरवाट को
सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मोहन स्वयं
अनु सचिव

संख्या-205सी०एफ०-11/26-3-97दर विभाग

प्रतिनिधि विमललिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

11 महालेखाकार, 3090, कानपुरवाट।

12 कोषाधिकारी, कैरवाट, कानपुर

13 वित्त विभाग आयोजना अनुभाग, 3090, कानपुर

14 वित्त विभाग नियंत्रण अनुभाग-12, 30, 05 कानपुर

15 वित्त विभाग आय व्यय अनुभाग-2, 3090 कानपुर

16 गार्ड फाइल।

आज्ञा है,

मोहन स्वयं
विशेष सचिव